भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4816

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है।

.....

महाराष्ट्र में जल सरंक्षण

4816. श्रीमती नवनित रवि राणा:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश विशेष रूप से महाराष्ट्र में स्थित जलाशयों की संख्या कितनी है, जिसके लिए आंकड़े संकलित किए गए हैं;

(ख) देश में जल की कमी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जलमित्रों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जल संरक्षण अभियान में राज्य-वार कितने जलमित्र शामिल हैं; और

(ङ) क्या सरकार का प्राकृतिक और कृत्रिम बावड़ियों, पोखरों, तालाबों, जोहड़ और झीलों को बचाने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क): केंद्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर महाराष्ट्र के 29 बांधों सहित देश के 140 जलाशयों की लाइव स्टोरेज स्थिति की निगरानी कर रहा है। इन 140 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 175.957 बीसीएम है, जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 68.25% है। महाराष्ट्र में निगरानी में रखे गए 29 जलाशयों की भंडारण क्षमता 18.445 बीसीएम है।

(ख): किसी भी क्षेत्र या देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता काफी हद तक जल-मौसम विज्ञान और भूवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करती है। हालाँकि, प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता देश की जनसंख्या पर निर्भर है और भारत के लिए, जनसंख्या में वृद्धि के कारण देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कम हो रही है। इसके अलावा वर्षा के उच्च अस्थायी और स्थानिक भिन्नता के कारण, देश के कई क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है और इसके परिणामस्वरूप पानी की कमी/दुर्लभ स्थिति हो सकती है। इसके अलावा, देश के गतिशील भूजल संसाधनों का समय-समय पर केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है। वर्ष 2020 के आकलन के अनुसार, देश में कुल 6965 मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक/तालुका/मंडल/वाटरशेड/फिरका) में से 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1114 इकाइयों को 'अति-शोषित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां वार्षिक भूजल निष्कर्षण निकालने योग्य वार्षिक भूजल संसाधन से अधिक हैं। 270 इकाइयों को 'क्रिटिकल', 1057 इकाइयों को 'सेमी-क्रिटिकल', 4427

इकाइयों को 'सुरक्षित' और 97 इकाइयों को 'सेलाइन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) और (घ): जल शक्ति अभियान (जेएस) और जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए:सीटीआर) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए लोगों की भागीदारी एवं हितधारक मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ सरकार द्वारा उठाए कदम थे। जेएसए/जेएसए:सीटीआर में जल मित्र की भागीदारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हालांकि, कुछ राज्यों ने जल संरक्षण जागरूकता अभियानों में अपने स्तर पर स्वयंसेवकों को शामिल किया होगा।

(ङ): प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकायों जैसे बावड़ियों, टैंकों, तालाबों, जोहड़ों और झीलों आदि के संरक्षण के साथ-साथ इसके लिए नीति तैयार करने से संबंधित कार्य संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई कुछ नीतियां निम्नानुसार हैं:

1. इस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति 2012, अन्य बातों के साथ-साथ, में प्रावधान है कि जल निकायों (जैसे नदियों, झीलों, टैंकों, तालाबों, आदि) और जल निकासी चैनलों (सिंचित क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्र जल निकासी) के अतिक्रमण और डायवर्जन को अनिवार्य रूप से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और जहां कहीं भी यह हुआ है, जहां तक संभव हो, इसे बहाल किया जाना चाहिए।

2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्रभूमि के संरक्षण, संरक्षण और प्रबंधन के लिए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को अधिसूचित किया है।

3. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा लागू किया जा रहा है ताकि प्रदूषण के स्रोतों के संबंध में प्रदूषण के निर्वहन और मानकों को लागू किया जा सके।

4. भारत सरकार ने जल निकायों में प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत सामान्य निर्वहन मानकों और उद्योग विशिष्ट, अपशिष्ट निर्वहन मानकों को निर्धारित किया है।

5. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जल निकायों की बहाली/कायाकल्प सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के मार्गदर्शन के रूप में 'जल निकायों की बहाली के लिए सांकेतिक दिशानिर्देश' जारी किए गए हैं।

6. वर्ष 2010 के दौरान तैयार किए गए जल निकायों में मूर्तियों के विसर्जन के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है और "जल निकायों में मूर्ति विसर्जन पर संशोधित दिशा-निर्देश" दिनांक 01 जनवरी, 2021 से देश में लागू किए जा रहे हैं।

******

अनुलग्नक

"महाराष्ट्र में जल सरंक्षण' के संबंध में दिनांक 31.03.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4816 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

भारत में ब्लॉक/मंडल/तालुका का वर्गीकरण (2020)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मूल्यांकित इकाईयों की कुल संख्या	सुरक्षित		सेमी-क्रिटिकल		क्रिटिकल		अति-दोहित		सेलाइन	
	राज्य		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	आंध्र प्रदेश	667	551	83	40	6	15	2	23	3	38	6
2	अरुणाचल प्रदेश	11	11	100								
3	असम	28	28	100								
4	बिहार	534	471	88	51	10	5	1	7	1		
5	छत्तीसगढ	146	110	75	27	18	9	6				
6	दिल्ली	34	3	9	7	21	7	21	17	50		
7	गोवा	12	12	100								
8	गुजरात	248	182	73	24	10	4	2	25	10	13	5
9	हरियाणा	141	30	21	14	10	12	9	85	60		
10	हिमाचल प्रदेश	10	10	100								
11	झारखंड	259	244	94	10	4	2	1	3	1		
12	कर्नाटक	227	130	57	35	15	10	4	52	23		
13	केरल	152	120	79	29	19	3	2				
14	मध्य प्रदेश	317	233	74	50	16	8	3	26	8		
15	महाराष्ट्र	353	271	77	63	18	8	2	10	3	1	0
16	मणिपुर	9	9	100								
17	मेघालय	12	12	100								
18	मिजोरम	26	26	100								
19	नगालैंड	11	11	100								
20	ओडिशा	314	302	96	6	2					6	2
21	पंजाब	150	17	11	10	7	6	4	117	78		
22	राजस्थान	295	37	13	29	10	23	8	203	69	3	1
23	सिक्किम	4	4	100								
24	तमिलनाडु	1166	409	35	225	19	63	5	435	37	34	3
25	तेलंगाना	589	321	55	180	31	44	7	44	7		
26	त्रिपुरा	59	59	100								
27	उत्तर प्रदेश	830	541	65	174	21	49	6	66	8		
28	उत्तराखंड	18	14	78	4	22						
29	पश्चिम बंगाल*	268	191	71	76	28	1	0				
30	अण्डमान और निकोबार	36	35	97							1	3
31	चंडीगढ़	1			1	100						
32	दादरा और नगर हवेली	1	1	100								
	दमन और दीव	2	1	50					1	50		

33	जम्मू और कश्मीर	20	20	100								
34	लद्दाख	2	2	100								
35	लक्षद्वीप	9	7	78	2	22						
36	पुदुच्चेरी	4	2	50			1	25			1	25
	कुल-योग	**6965**	**4427**	64	**1057**	**15**	**270**	**4**	**1114**	**16**	**97**	**1**

नोट:

ब्लॉक- बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल

तालुक- गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र

मंडल- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना

जिला- अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख

घाटी- हिमाचल प्रदेश,

द्वीप समूह- अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप

फ़िरका- तमिलनाडु

क्षेत्र- पुदुच्चेरी

यूटी- चंडीगढ़

तहसील- दिल्ली

*पश्चिम बंगाल- 2013 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य के लिए भूजल संसाधन आकलन पर विचार किया गया है।

****